नगर निगम शिमला
सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा पार्किंगों, ए.टी.एम. व होर्डिंग, व कन्टिने इत्यादि के लिए मोहरबन्द निविदायें दिनांक 30.12.2019 को सायं 2.00 बजे तक आमंन्त्रित की जाती है। निविदायें उसी दिन सायं 3.00 बजे रोटरी टॉउन हाल दी मॉल शिमला में निविदायें खोलने हेतु गठित समिति के समक्ष निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार खोली जाएंगी।

निगम सम्पतियों की सूची जिनके आबंटन हेतु निविदायें सामानय प्रकिया के माध्यम से आंमन्त्रित की जानी हैः–

क्रंमाक	पार्किंग/कैन्टीन/ए.टी.एम का विवरण	वाहन क्षमता/ क्षेत्रफल/वर्ग मीटर/वर्ग फुट में	अवधि	धरोहर राशि	आरक्षित राशि (रू) वार्षिक
1	निगम कार पार्किंग खलीनी शिमला	15 वाहन, घरेलु	1 वर्ष	10,000/–	40,000/–वार्षिक
2.	निगम कार पार्किंग इन्द्र नगर ढ़ल्ली शिमला।	10 वाहन, घरेलु	1 वर्ष	8,000/–	30,000/–वार्षिक
3.	निगम कार पार्किंग एस.डी.ए. कम्पलैक्स नजदीक पंचायती राज भवन कुसुम्पटी शिमला।	12 वाहन, घरेलु	1 वर्ष	8,000/–	35,000/–वार्षिक
4.	निगम कार पार्किंग स्टॉक्स पलैस बैनमोर शिमला।	14 वाहन, घरेलु	1 वर्ष	10,000/–	40,000/–वार्षिक
5.	रोड साईड कार पार्किंग नजदीक जे0सी0वी0 स्कूल न्यु शिमला।	13 वाहन घरेलु	1 वर्ष	8,000/–	30,000/–वार्षिक
6.	रोड साईड कार पार्किंग नजदीक लांबा क्वाटर टुटी कण्डी शिमला	15 वाहन घरेलु	1 वर्ष	10,000/–	40,000/–वार्षिक
7.	निगम कार पार्किंग नजदीक कंधारी निवास अनाडेल शिमला।	20 वाहन घरेलु	1 वर्ष	15,000/–	60,000/–वार्षिक
8.	निगम कार पार्किंग सामूदायिक भवन कैथू शिमला।	15 वाहन घरेलु	1 वर्ष	10,000/–	40,000/–वार्षिक
9.	मैट्रोपोल कार पार्किंग की चौथी मंजिल की कन्टीन ।	168 वर्ग फुट	1 वर्ष	20,000/–	44352/– वार्षिक
10.	पार्किंग हेतु भूमि ख्सरा नं0 1251 मौजा कलैस्टन भराड़ी ।	106.98 वर्ग फुट	10 वर्ष	15,000/–	96,000/– वार्षिक
11.	ऑफिस स्पेस ओल्ड बैरियर (Left Side)।	192 वर्ग फुट	10 वर्ष	20,000/–	51,000/– वार्षिक
12.	ऑफिस स्पेस ओल्ड बैरियर (Right Side)।	192 वर्ग फुट	10 वर्ष	20,000/–	51,000/– वार्षिक

13	ओल्ड स्ट्रक्चर गार्ड हट समीप पुलिस ग्रांउड भराड़ी।	193 वर्ग फुट	10 वर्ष	20,000/–	51,000/– वार्षिक
14.	निगम की दुकान ऑक्लैण्ड स्कूल के सामने लक्कड़ बाज़ार शिमला।	95.33 वर्ग फुट	10 वर्ष	20,000/–	48,000/– वार्षिक
15.	दुकान नं0 6 निगम–व्यवसायिक परिसर नामा।	150.10 वर्ग फुट	10 वर्ष	15,000/–	40,000/– वार्षिक
16.	दुकान नं0 5 कनलोग शिमला।	66.50 वर्ग फुट	10 वर्ष	5,000/–	18,000/– वार्षिक
17.	दुकान नं0 6 कनलोग शिमला।	65.43 वर्ग फुट	10वर्ष	5,000/–	18,000/– वार्षिक
18.	कार्यालय हेतु स्थान समीप विधुत सब डीविजन सामुदायिक भवन	293 वर्ग फुट	10 वर्ष	15,000/–	80,000/– वार्षिक

शर्तें व निबन्धनः–

1. सशर्त व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदायें रद्द कर दी जाएंगी। उन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जाएगा।
2. धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएंगी जो आयुक्त/संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला के पक्ष में शिमला में देय होगी।
3. सफल निविदाकार को पार्किंगों, कैन्टीन व ए.टी.एम. की ठेका राशि की 25 प्रतिशत राशि देय माल एवं सेवाकर सहित स्वीकृति पत्र की तिथि से 7 दिनों के भीतर व पार्किंगों की पूर्ण ठेका राशि इत्यादि का भुगतान अग्रिम रूप में करना होगा। पार्किंगों की शेष राशि के 10 उत्तर दिनांकित चैक माल एवं सेवाकर सहित (पोस्ट डैटिड चैक) अग्रिम रूप में देने होगें तथा होर्डिग के लिए सफल निविदाकार द्वारा 25प्रतिशत राशि को एक माह का अग्रिम रूप में पोस्ट डेटिड चैक जमा करना होगा। चैक निगम के खाते में जमा होने पर ही होर्डिग स्थानों का कब्जा सौपा जाऐगा।
4. प्रत्येक सफल निविदाकार की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. निविदाकार स्वयं निविदा खोलने के समय उपस्थित होना आवशयक है।
6. विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला शहर होगा।
7. निविदायें खोलने वाले दिन यदि अवकाश धोषित हो जाता है तो निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर प्राप्त की व खोली जाएंगी।
8. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टैन्डर फार्म में साफ शब्दों व अंकों में लिखनी होगी, जिस पर किसी भी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा लिफाफे पर निविदा का नाम लिखना होगा। अधूरी निविदा मान्य नहीं होगी। टैन्डर फार्म निगम की वैबसाईट में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
9. सामान्य प्रकिया के अर्न्तगत आंमन्त्रित निविदायें संयुक्त आयुक्त,नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखे निविदा बॉक्स में डालनी होंगी, तथा विसमय सीमा के

तुरन्त पश्चात निविदा बॉक्स बन्द कर दिया जाएगा ताकि कोई निविदा समय अवधि के पश्चात न डाली जा सकें। व्यक्तिगत तौर पर कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । निविदा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई ही स्वीकार होंगी।

10. ई–टेन्डरिंग निविदा केवल ऑन लाईन भरी गई ही मान्य होगी।

11. सामान्य प्रकिया के अर्न्तगत यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि से एक दिन पूर्व सॉँय 04.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदाये मान्य नहीं होंगी।

12. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा लगाया गया कोई भी कर/माल एवं सेवाकर निविदाकार को अदा करना होगा और यह दरों में सम्मिलित करके मान्य होगा।

13. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति/दुकान/स्टाल/पार्किंग, कैन्टीन आदि का देनदार पाया गया तो उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी और बाद में पता लगने पर भी निविदा स्वतः रद्द समझी जाएगी।

14. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा तय शर्तो के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर–2 निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उस द्वारा दी गई उच्चतम निविदा रद्द समझी जाएगी।

15. जिन निविदाकारों के पास वर्तमान में पार्किंग, दुकान, कैन्टीन व होर्डिगों का ठेका है, यदि वह निविदा देना चाहतें हैं तो उन्हें नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

16. निविदाओं के नियमों व शर्तो पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपत्ति हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपत्तियॉ दायर कर सकता है। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

17. वर्णित शर्तो के अतिरिक्त यदि कोई निविदाकार निविदाओं के बारे में और अधीक जानकारी चाहता हो तो निविदाऐं भरने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर अधीक्षक सम्पदा, नगर निगम शिमला से सम्पर्क कर सकते है।

18. आयुक्त नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

19. सरकार एवं निगम द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देश मान्य होंगें।

20. आयुक्त, नगर निगम या उसके प्राधिकृत/कर्मचारी को पट्टे/निविदा पर आबंटित सम्पति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

21. अनुबन्धनामा की शर्तो की उल्लंघन करने पर अनुबन्ध रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

22. निगम की घरेलु पार्किंग में निविदाकार को सर्वप्रथम स्थानिय वाहन मालिकों को वाहन पार्क करने के लिये स्लॉट की सुविधा प्रदान करनी सुनिश्चित करें।

23. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर यदि कोई नुक्सान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान पाये जाने की राशि काटकर बाकी की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का कब्जा शान्तिपूर्ण नगर निगम के सौंपना होगा तथा ठेका अवधी समाप्त होने पर पार्किंग,दुकान, कैन्टीन व होर्डिंग/सम्पतियो का दिया गया कब्जा समाप्त माना जायेगा।

24. निगम पार्किंग, कैन्टीन व होर्डिंग वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी सुविधाओं के साथ आंबटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताऐं उच्चतम निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

25. किसी भी पार्किंग में प्राकृतिक व अप्राकृतिक स्थिति से वाहनों को कोई क्षति पहुँचती है तो उसकी जिम्मेवारी नगर निगम की नहीं होगी।

26. निगम द्वारा निर्धार्रित दरों से यदि निविदाकार द्वारा वाहन शुल्क अधिक वसूल किया जाता है तो प्रथम शिकायत प्राप्त होने पर चेतावनी नोटिस जारी किया जायेगा तथा पूनः शिकोयत एवं दोष सिद्व होने पर रू0 20,000/–जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि बार–बार अधिक वसूली बारे शिकायत प्राप्त होती है तो ठेका रद्व कर दिया जाएगा। यह जुर्माना इकरारनामें की अन्य शर्तो की उल्लंधना करने पर भी वसूल किया जाएगा। पुनः शिकायत प्राप्त होने एवं दोष सिद्ध होने पर आबंटन रद्द कर दिया जाएगा व उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।

27. सूची में दर्शाई निगम की किसी भी सम्पति में यदि बिजली, पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।

28. उच्चतम निविदाकार को पार्किंग के गेट पर निर्धारित की गई दरों का 4×4 का बोर्ड लगाना होगा जिसमें नगर निगम कार्यालय दूरभाष–नम्बर तथा यथानिर्देशित अन्य जानकारी भी अंकित करनी होगी।

29. सफल निविदाकार को स्थानीय लोगों की सूविधा को देखते हुए व्यवसायिक पार्किंग में स्थानीय लोगों को र्स्व प्रथम सुविधा प्रदान करनी होगी तथा पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 30 प्रतिशत वाहन को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा इसके इलावा सफल निविदाकार को आवासीय पार्किंग में कुल वाहन क्षमता की 80 प्रतिशत और सड़क कार पार्किंग में 30 प्रतिशत स्थान स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना होगा। स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए उन्हें स्थानीय पार्षद की प्रमाण–पत्र/स्वीकृति सहित अपना राशन कार्ड /आधार कार्ड/ बिजली/पानी का बिल,प्रमाण पत्र दस्तावेजों के

तौर पर निगम कार्यालय में जमा करवाने होगें। जिसका बोर्ड पार्किंग में स्वंय सफल निविदाकार को लगाना होगा।

30. सफल निविदाकार द्वारा यदि आबंटित होर्डिंग क्षेत्रफल से ज्यादा होर्डिंग लगाया जाता है तो उसे राशि रू0 20,000/– प्रति होर्डिंग जुर्माना किया जायेगा।

31. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पयर्टको एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग मोबाईल ऐप आरम्भ कर दी गई है। उच्चतम निविदाकार को मोबाईल ऐप अपनी–अपनी पार्किंग में लागु करनी होगी तथा पार्किंग की काटी गई रसीदे मान्य नहीं होगी। शर्तो की उल्लंघना करने पर निविदाकार से राशि रू0 50,000/–का जुर्माना वसूल किया जाएगा। केवल ऐप न चलने की दशा में ही निगम द्वारा जारी की गई रसीदें काटी जा सकती है जो नगर निगम की सम्पदा शाखा से निर्धारित कीमत के भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है।

32. नगर निगम शिमला की साधारण बैठक दिनांक 28.09.17 को लिए गये निर्णय अनुसार सम्बन्धित वार्ड पार्षद को एक गाडी की पार्किंग हेतु आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा पास जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर उच्च निविदाकार को पार्किंग में सम्बन्धित गाडी को निःशुल्क स्थान प्रदान करना होगा एक पार्किंग में एक से अधिक स्थान का आरक्षण नहीं किया जाएगा ।

33. उच्चतम निविदकार ऐसा कोई भी विषयवास्तुक विज्ञापन न ही छपवायेगा/प्रकाशित करेगा जो सरकार एवं नगर निगम की नितियों व जनता की भवनाओं के विरूद्व हो तथा निर्धारित परिमाप/क्षेत्रफल से अधिक परिमाप/क्षेत्रफल का विज्ञापन नहीं लगायेगा। ऐसा होने पर ठेकेदार के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाऐगी और धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त कर दी जाऐगी तथा आयुक्त नगर निगम को उस विज्ञापन को तुरन्त हटाने का अधिकार होगा।

34. उपरोक्त विषय में अतिरिक्त जानकारी/पूछताछ के लिए अधीक्षक सम्पदा से निजी तौर पर या दुरभाष न0–0177–2802779 पर संपर्क करें। निगम की वेवसाईट www.shimlamc.org है

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

नगर निगम शिमला

निविदा फार्म

सेवा में,

आयुक्त,
नगर निगम, शिमला।

विषयः– निविदा बारे।

महोदय,

मैं अपनी निविदा निम्न ब्यौरे अनुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ।

1.	निविदाकार का नाम व पता तथा सम्पर्क न0	
2.	सम्पति का नाम जिसके लिए निविदा दी गई है।	
3.	धरोहर राशि के ड्राफ्ट का न0, तिथि व राशि	
4.	निविदाकार द्वारा भरी गई निविदा की राशि, मासिक/वार्षिक अंको व शब्दों में	
5.	निविदाकार के हस्ताक्षर तिथि सहित।	
6.	G.S.T No	